फर्द अहमकाम

अमरचन्द वनाम बोदूराम

यालय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

। सं052/2023

सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप० प्रतिवादीगण के समक्ष नोटिस डिलीवरी रिपोर्ट पूर्व से ही पत्रावली पर उपस्थित है शामिल रहे। प्रतिवादी सं० 1 की तामील अर्थात नोटिस जारी करने बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही आगे के लाई जाती है। प्रतिवादी सं० 2 को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	13.11.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 11/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। R.O. सा. अन्य राजस्व [illegible] है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/25 को पेश हो।	
	15.1.25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को आज न्यायालय में पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। बावजूद आवाज लगवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत आदेश-9 नियम-3 सी०पी०सी० के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	